हमेशा शिक्षित रहें

प्रस्तुति- ऐलेक सेन्टर
गत 23-29 अक्टूबर वाले अंक से आगे

छानबीन वाली सभा में आपकी उपस्थिति

काम सम्बंधी लगे किसी भी इल्ज़ाम पर जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि सम्बंधित किसी भी सभा में आप को पूरा बोलने और भाग लेने का मौका मिले। यह ज़रूरी नहीं कि आपका मजदूर मालिक यह साबित करे कि आपने अनुशासन सम्बंधी नियमों को तोड़ा है बल्कि कोई भी अनुशासनिक कदम उठाने से पूर्व उसके पास पर्याप्त विश्वास हो कि अगर आप पूछे गए सवालों का जवाब देने में आना कानी करेंगे तो वो आपके प्रति अनुशासनिक कदम उठा सके और यह समझे कि आप ने नियमों को तोड़ा है।

अगर आपने लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया तो आप अपने मजदूर मालिक को अपने बचाव के कारणों को भी जता सकते हैं जैसे आप कह सकते हैं कि आपको नियम मालूम नहीं थे, अन्य कर्मचारियों ने भी ऐसा किया था और उनपर कोई कदम नहीं लिया गया, आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ है और आपको मामूल भी नहीं था कि आप नियम तोड़ रहे हैं, आपको किसी और ने ऐसा करने को कहा था या फिर आपको पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिली है इसलिए गलती हुई थी या आपने ऐसा अत्याधिक दबाव में पड़कर किया था।

नौकरी खोने से आपको क्या करना है। *चित्र- योर राइट्स डोट कोम*

सभा के बाद

सभा की बातचीत के दौरान अगर आपके मजदूर मालिक ने पाया कि आप ने कोई नियम नहीं तोड़ा है और आपने अपने बचाव में कई कारण दिए थे तो बात यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको छानबीन तक नौकरी से अलग रखा गया है तो आपको वापस नौकरी पर आने को कहा जाएगा।

यह भी हो सकता है कि आपके पास एक खत भेजा जाएगा जिसमें मांग की जाएगी कि आप एक अनुशासनिक सुनवाई के समक्ष उपस्थित हों।

अनुशासनिक सुनवाई के लिए तैयारी

इस सुनवाई में बुलाने से पूर्व आप पर लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से लिखे गए हों तथा इसकी एक कोपी आपके पास हो। अगर आप की यह सूची स्पष्ट नहीं है या आप कुछ भाग को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप अपने मजदूर मालिक से और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और तभी सुनवाई में जाएं।

सुनवाई से पूर्व

सुनवाई से पूर्व आपके मजदूर मालिक को निम्न जानकारियां आपको देनी ज़रूरी है-

- किसी भी पूर्व अनुशासनिक सभा की जानकारी
- किसी भी प्रकार के गवाह के बयान या जानकारी
- कोई भी कागज़ात जिसपर आपका मजदूर मालिक निर्भर हो
- किसी भी कागज़ात जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो आपके बचाव में काम आ सकें।

ये सभी कागज़ात आपको एक लिफाफे में बन्द मिलनी चाहिए और अगर नहीं मिली है तो आप इसकी मांग अपने मजदूर मालिक से कर सकते हैं।

एक सूची बना लें जिनमें वे बातें हों जिन्हें आप सुनवाई के दौरान पूछना चाहते हैं, जो प्रस्तुत करना चाहते हैं या कोई भी विषय जिसे आप इन्कार करते हैं और आप पर आरोपित किए गए हैं।

हो सके तो अपनी ओर से एक लिखित बयान दें जिसमें यह लिखा हो कि किन परिस्थितियों में यह गलती हुई होगी या हुई है जैसे कोई ई-मेइल, टाइम शीट तथा पूर्व की सम्बंधित कोई घटी घटना की जानकारी भी साथ ले जाएं।

अगर आप को मालूम है कि आप पर जो इल्ज़ाम लगा है उसके अलग कारण देकर आप का मजदूर मालिक आपपर कार्यवाही कर रहा है तो भी आप इस सुनवाई के दौरान बोल सकते हैं।

सुनवाई समाप्त होने से पूर्व यह स्पष्ट कर लें कि जो कुछ आपको प्रस्तुत करना था वो आप प्रस्तुत कर चुके हैं। अकसर सुनवाई के बाद मजदूर मालिक निर्णय का फैसला सुना देते हैं लेकिन कभी-कभी वे आप से कहेंगे कि वे लिखित तौर पर आपको इसकी जानकारी देंगे।

अनुशासनिक कदम की अपील

अनुशासन में मौखिक चेतावनी, लिखित चेतावनी तथा बर्खास्तगी। कुछ अनुशासनिक कदम में व्यक्ति को पेनल्टी दी जाती है, बिना वेतन की बर्खास्तगी या पदावनति यानी पद में गिरावट शामिल है।

अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया है और आप फैसले से खुश नहीं हैं तो आप तुरन्त अपील कर सकते हैं। मजदूर मालिक से मिली चिट्ठी में आपको यह जानकारी दी जानी चाहिए कि आप किस के पास और कब तक अपील कर सकते हैं।

अपील करने के कुछ सम्भावित आधार

- आपके मजदूर मालिक ने पूरी छानबीन नहीं की थी
- आपका मजदूर मालिक फैसला सुनाने के लिए सभी सबूतों पर ध्यान नहीं दिया था
- आपके पास सम्बंधित और भी सबूत हैं
- आप के साथ उसी प्रकार के अपराध के लिए सख्ती से पेश आया गया है जबकि अन्य कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं हुआ था।
- आपकी ओर से बचाव के बयानों पर मजदूर मालिक ने कम ध्यान दिया था
- आपके मजदूर मालिक ने न्यायसंगत रूप से कार्यवाही नहीं की थी
- आपके मजदूर मालिक ने आपको अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका नहीं दिया था

अगर आपके पास अपने मामले सम्बंधी इस तरह की शिकायत, जानकारी या कोई मामला है तो आप ऐलेक संस्था को 3304702 तथा 3584975 पर सम्पर्क करें या ई-मेइल करें- poalac@transparencyfiji.org या सीधे ऐलेक के दफ्तर 72 प्रेट स्ट्रीट सूवा चले आइए। आपसे प्राप्त सभी जानकारी गुप्त रखी जाएगी।

अगले सप्ताह जमीन सम्बंधी धांधली पर लेख पढ़ें।